

प्रेषक,

अरविन्द कुमार मिश्रा—द्वितीय,  
जिला न्यायाधीश,  
मेरठ।

सेवा में,

ओ0एस0डी0(कम्प्यूटर्स)  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक: 1889/ख

दिनांक:- 05.06.2026

विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारीगण की पुनर्नियुक्ति किये जाने की सूचना/विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या-14/एडमिन डी अनुभाग दिनांकित 15.10.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय के कार्य को सुचारु रूप से चलाये जाने के अर्दली/पीयोन/ऑफिस पीयोन/फर्शाश के 08 पदों तथा चौकीदार/वाटरमैन/स्वीपर/माली/कूली भिश्ती एवं लिफ्टमैन के 04 पदों पर पुनर्नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। सेवानिवृत्त कर्मचारीगण को पुनर्नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक 17.06.2026 की साँय 5.00 बजे तक आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में जारी की गयी सूचना/विज्ञप्ति एवं आवेदन के प्रारूप की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः श्रीमान जी से विन्नम अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न सूचना/विज्ञप्ति माननीय न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने की कृपा करें।

आदर सहित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरविन्द कुमार मिश्रा—द्वितीय)  
जिला न्यायाधीश,  
मेरठ।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

सूचना


माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-14/एडमिन डी अनुभाग दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, मेरठ में रिक्त निम्न पदों पर जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण की पुनर्नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2026 की साँय 5.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ में प्राप्त किये जायेंगे। जो कर्मचारी दिनांक 30.06.2026 तक सेवा निवृत्त हो रहे हैं वे भी पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

| क्र०सं० | पुनर्नियुक्ति हेतु पदनाम                             | रिक्त पदों की संख्या | मानदेय   |
|---------|--|----------------------|--|
| 1       | अर्दली/पीयोन/ऑफिस पीयोन/फर्राश                       | 08                   | Principal of Last Pay drawn mines Pension amount |
| 2       | चौकीदार/वाटरमैन/स्वीपर/माली/कूली भिश्ती एवं लिफ्टमैन | 04                   | Principal of Last Pay drawn mines Pension amount |

उपरोक्त पद पर पुनर्नियुक्ति सेवानिवृत्त कर्मचारीगण का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नई नियुक्ति/पदोन्नति होने तक अथवा एक वर्ष के लिये जो भी न्यूनतम हो तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अवधि के लिये की जायेगी।

अन्य जनपद न्यायालयों से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण अपने पिछले पाँच वर्षों की चरित्र पंजिका की प्रविष्टि भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

नोटिस की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्या की जाये एवं जनपद न्यायालय, मेरठ की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाये तथा प्रति जिला सूचना अधिकारी मेरठ को समाचार-पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

  
(अरविन्द कुमार मिश्रा द्वितीय)  
जिला न्यायाधीश,  
मेरठ।